

### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

**सं**. 1462] No. 1462] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 25, 2013/आषाढ़ 4, 1935

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 25, 2013/ASHADHA 4, 1935

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2013

का.आ. 1845(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 800 (अ), तारीख 11/04/2012 द्वारा कर्नाटक और आंध्रप्रदेश राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 9 (नया रारा-65) के 348.800 कि.मी. से 423.800 कि.मी. (महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा) और 423.800 कि.मी. से 493;000 किमी (कर्नाटक-आंध्रप्रदेश सीमा) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, 30;09;2011 को प्रस्तुत की गई बोली हेतु, मैसर्स एल एंड टी डक्कन टोलवेज लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय पीओ.बाक्स 979, माउण्ट पूनामल्ली रोड, मणपक्कम, चेन्नई-60089, तिमलनाडु में, भारत में है (जिसे इसमें इसके बाद "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है), के साथ कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-9 (नया रारा-65) के महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा-संगारेड्डी (348.800 कि.मी. से 493.000 कि.मी)

2807GI/2013 (1)

सेक्शन कर्नाटक राज्य में 348.800 कि.मी. से 423.800 कि.मी. और आंध्रप्रदेश राज्य में 423.800 कि.मी. से 493.000 कि.मी. तक के खण्ड (जिसे इसमें इसके प्रश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) के चार लेन में विकास तथा उक्त खण्ड के प्रचालन और अनुरक्षण हेतु, 02.02.2012 को करार किया है (जिसे इसमें इसके प्रश्चात् "उक्त करार" संदर्भित किया गया है)।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर्शे का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) संशोधन नियम, 2010 जिसे अधिसूचना संख्या सा.का.नि संख्या 950 (अ), तारीख 03.12.2010 द्वारा जारी किया गया था और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2011 जिसे सा.का.नि 15(अ), तारीख 12.01.2011 द्वारा जारी किया गया था, के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूँजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का दबाव और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 126.700 किमी हेतु, चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग के लिए, सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर (जिसे इसमें इसके पश्चात "आधार दर" संदर्भित किया गया है) उक्त खण्ड के लिए यांत्रिक वाहनों पर, तथा नीचे सारणी 1 में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर तीन बाइपासों के लिए, जिनकी कुल लम्बाई 18.250 कि.मी. है, आधार दरों के डेढ़ गुना के हिसाब से शुल्क उदग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा और उक्त रियायतग्राही को प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से तथा प्राधिकरण से समापन-प्रमाणपत्र अथवा अंतिम समापन-प्रमाण पत्र, जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त करने पर या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन से, जो भी बाद में हो, करार में विनिर्दिष्ट समाप्ति की तारीख तक, जैसा कि करार में विनिर्दिष्ट किया गया है, शुल्क को संग्रहीत और प्रतिधारित करने हेत् प्राधिकृत करती है;

सारणी -1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति	
	कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए	
	में)	
(1)	(2)	
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65	
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन	1.05	
अथवा मिनी बस		

बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भ.सं.म.) या अर्थ मूविंग	3.45
उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.व.) (चार	
से छह धुरी वाले)	
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजाओं के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु, शोध्य और संदेय होगाः

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क
	संदेय है
रारा-9 (नया रारा-65) का किमी/चैनेज	71.600
407.500 (बीदर जिले में मंगलगी गांव के	
पास)	
रारा-9 (नया रारा-65) का किमी/चैनेज	55.100
465.600 (मेढक जिले में कमकोल गांव के	
पास)	

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्निलिखित बाइपासों के उपयोग के लिए, निम्निलिखित टोल प्लाजाओं पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए बाइपासों की विनिर्दिष्ट लम्बाई के लिए, आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से, निम्निलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा;

टोल प्लाजा का अवस्थान	बाइपासों की लंबाई (कि.मी. में) जिनके लिए अतिरिक्त	
(चैनेज)	शुल्क संदेय है	
रारा-9 (नया रारा-65) का	412.050 किमी से 415.300 (डिजाइन चैनेज)-3.250	
किमी/चैनेज 407.500 (बीदर	.500 (बीदर (मान-ए-खेली बाइपास)	
जिले में मंगलगी गांव के पास)		
रारा-9 (नया रारा-65) का	430.300 किमी से 447.800 (डिजाइन चैनेज) 9.500	
किमी/चैनेज 465.600 (मेढक जिले	(जहीराबाद बाइपास)	
में कमकोल गांव के पास)		
	476.700 किमी से 482.200 (डिजाइन चैनेज) 5.500	
	(सदाशिवपेथ बाइपास)	

- 3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन और गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2013-14 के लिए मासिक पास की दर 215.00 रूपए (दो सौ पंद्रह रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा।
- 4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जायेगा, अर्थात:

संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं	विधिमान्यता की
	की अधिकतम संख्या	अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़	दो	संदाय के समय से
गुना		चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से
लिए संदेय शुल्क की राशि का दो -		एक मास
तिहाई		

- 5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परिमट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।
- 6. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुजेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।
- 7. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुजेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
- 8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्त्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।
- 9. ऊपर सारणी 1 में यथाउल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी.शुल्क की आधार दर पर आधारित यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा राजमार्ग परियोजना के पूरे कर लिए भाग की लम्बाई के आधार पर की जाएगी और उसे प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा के

कम-से-कम एक समाचारपत्र में प्रकाशित कराया जाएगा तथा इसके पश्चात् उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जायेगा और उक्त नियमों के नियम 5 तथा रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित किया जाएगा। परन्तु शर्त यह है कि शुल्क के पिछली बार किये गये संशोधन की तारीख से छः महीने के अन्दर कोई संशोधन नहीं किया जायेगा।

[भाराराप्रा/13013/742/12-13/सीओ/बेंगलूर (348.80-493.00) बीओटी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2013

**S.O. 1845(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highway number S.O. 800 (E), dated 11/04/2012, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 348.800 to kilometer 423.800 (Maharashtra- Karnataka Border) & and that from kilometer 423.800 to kilometer 493.000 (Karnataka/ Andhra Pradesh Border - Sangareddy Section) of NH-9 (New NH-65) in the State of Karnataka & Andhra Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement on 02.02.2012 (hereinafter referred to as said agreement) with M/s L&T Deccan Tollways Limited having its registered office at P.O. BOX 979, Mount Poonamallee Road, Manapakkam, Chennai - 600089, Tamil Nadu, India, (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), for the bid submitted on 30.09.2011 for the development of the Maharashtra –Karnataka Border – Sangareddy (Km 348.800 to Km 493.000) Section of NH - 9 (new NH – 65) from Km 348.800 to Km 423.800 in state of Karnataka & from Km 423.800 to Km 493.000 in the State of Andhra Pradesh (hereinafter referred to as the "said section") to Four lane operation and maintenance of the said section.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 read with National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2010 issued vide notification no G.S.R. 950(E) dated 03.12.2010 & National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2011 issued vide notification no G.S.R. 15(E) dated 12.01.2011, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall

be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 126.700 kms for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") and at one and a half times the base rate for three nos. of bypasses having an aggregate length of 18.250 km. on the Type of Vehicles specified in Table 1 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation (COD) declared by the Authority and on getting the Completion Certificate or the Provisional Completion Certificate, as the case may be, from the Authority or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

Table 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007- 08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini	1.05
Bus	
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving	3.45
Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to	
six axles)	
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) for which Fee is	
	payable	
Km/Ch. 407.500 (near Mangalgi village in Bidar	71.600	
district) of NH – 9 (new NH- 65)		
Km/Ch. 464.600 (near Kamkole village in Medak	55.100	
district) of NH – 9 (new NH- 65)		

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypases at the following Toll Plazas at one and half times of the base rate for the length of the bypass(es) specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) of bypasses costing more than 10
	crores for which additional fee is payable

Km/Ch. 407.500 (near Mangalgi	3.250 (Mann-E-Kheli Bypass) from km. 412.050
village in Bidar district) of NH – 9	to km. 415.300 (design chainage)
(new NH- 65)	
Km/Ch. 464.600 (near Kamkole	9.500 (Zaheerabad Bypass) from km. 430.300 to
village in Medak district) of NH – 9	km. 447.800 (design chainage)
(new NH- 65)	5.500 (Sadashivpeth Bypass) from km. 476.700
	to km. 482.200 (design chainage)

- 3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 215.00 (Rupees Two Hundred Fifteen only) for the year 2013-14 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.
- 4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one	Period of validity
	way journeys allowed	
One and half times of the fee	Two	Twenty four hours from
for one way journey		the time of payment
Two-third of amount of the	Fifty or more	One month from date of
fee payable for fifty single		payment
journeys or more		

- 5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicle.
- 6. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
- 7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said Rule.
- 8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.
- 9. Based on the base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the

discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed portion of the length of the Project Highway. The same shall be got published by the Authority in at least one newspaper, each in English and vernacular language through the Concessionaire and thereafter revised annually and published in accordance with the rule 5 of the said rules and provisions of the Concession Agreement provided that no revision shall be effected within a period of six months from the date of the preceding revision of fee.

[NHAI/13013/742/12-13/CO/GC Bengaluru (348.80-493.00) BOT] ALKESH SHARMA, Jt. Secy.